Pt. Shriram Sharma Acharya

Scholarship/Free Ship Policy of Dev Sanskriti Vishwavidyalaya

Introduction

Dev Sanskriti Vishwavidyalaya (DSVV) is firmly dedicated to its mission of ensuring that every deserving student has access to education, regardless of their financial situation. Guided by the principle that "no student shall be devoid of education" the University is fully funded by Sri Vedmata Gayatri Trust, Shantikunj, Haridwar and actively seeks and mobilizes funds from various sources, including donations from philanthropists and compassionate individuals. These funds are utilized to provide financial assistance to students who require support to cover tuition fees and other expenses, such as hostel fees, mess charges, examination fees, and library fees.

Scholarships and free ships at DSVV are awarded to students based on their financial need, academic performance, and overall discipline. Special priority is given to students from marginalized communities, including SC (Scheduled Castes), ST (Scheduled Tribes), and PWD (Persons with Disabilities) categories. The University aims to bridge the gap for those students who do not qualify for government scholarships, fellowships, or concessions by providing them with institutional scholarships/free ships through a fair and transparent process.

The scholarship policy is governed by a well-defined set of rules and procedures to identify and award scholarships, free ships, or concessions. *<u>Every academic year, the University issues an open notice from the Registrar's office, inviting applications for scholarships/free ships.</u>* A dedicated *<u>screening committee is responsible</u>* for reviewing these applications and allocating specific funds to each student based on their financial needs and priorities. The scholarship amounts may vary depending on the course and may be subject to change periodically.

In addition to undergraduate and postgraduate students, the University also provides scholarships/free ships to *<u>research scholars</u>* to support their academic endeavors.

1. Eligibility Criteria for Scholarships/Free Ships/Concessions

To qualify for a scholarship, free ship, or concession, students must meet the following criteria:

1.1 Financial Condition:

Students from economically disadvantaged backgrounds are considered eligible for scholarships/free ships. They must provide an income certificate of the guardian as evidence of the family's financial status. The University prioritizes students who are genuinely unable to afford their education.

1.2 Academic Performance:

Academic achievement is a significant criterion for eligibility. Students must have shown good academic results in their previous semesters. This includes achieving satisfactory grades and maintaining regular attendance in classes, as well as active participation in academic activities.

1.3 Overall Conduct and Discipline:

The overall behavior and discipline of the student are also taken into account when granting scholarships. Eligible students must have demonstrated good conduct on the University campus, within the hostel environment, and towards their classmates and professors. They are also expected to participate in University activities, including regular attendance at Yagya (spiritual activities), University programs, and special classes conducted by the Honorable Chancellor.

2. Procedure for Scholarships/Free Ships/Concessions

The following procedure is to be followed by students applying for scholarships, free ships, or concessions:

2.1 Notification and Application:

At the beginning of each academic year, the Registrar's office issues a notification inviting applications for scholarships/free ships. Eligible students must apply in the prescribed format available at the office of the Dean of Student Welfare.

2.2 Application Submission:

Students must submit their duly filled application forms to the Dean of Student Welfare. The application should include all required documents and a recommendation from the concerned Head of the Department.

2.3 Screening and Shortlisting:

Upon receiving the applications, a screening committee reviews them based on the eligibility criteria. The committee identifies and shortlists students who qualify for further consideration and invites them for interviews.

2.4 Interview Process:

Shortlisted candidates are called for an interview to evaluate their eligibility for the scholarship. This interview is conducted by a dedicated scholarship committee comprising University officials.

2.5 Recommendation and Approval:

After the interview process, the Dean of Student Welfare forwards the applications of the shortlisted candidates, along with the committee's recommendations and comments, to the Pro Vice-Chancellor or Vice-Chancellor for initial approval.

2.6 Final Decision by the Scholarship Committee:

Once initial approval is received from the Pro Vice-Chancellor or Vice-Chancellor, the scholarship committee reviews the applications and makes a final recommendation on the amount of scholarship for each student. These recommendations are then submitted to the Honorable Chancellor of the University for Final Consideration.

3 Final Approval:

The Honorable Chancellor reviews the committee's recommendations and makes the final decision on the approval of the scholarship, fellowship, or fee reduction. The decision of the Chancellor is final and binding.

4. **Authority and Decision-Making**

- All decisions regarding the granting of scholarships, free ships, or fee concessions are under the sole authority of the University administration.
- Scholarships, free ships, or concessions are not provided during the first session of admission; applications for these benefits are accepted starting from the second session of the student's enrollment.
- The entire process of awarding scholarships, including the recommendations made by the committee and the final decision by the Chancellor, is conclusive. No claims, appeals, or grievances will be entertained regarding the scholarship process or its outcomes.

5. Conclusion

Dev Sanskriti Vishwavidyalaya is committed to creating an inclusive and supportive educational environment that ensures equal access to education for all deserving students. This scholarship policy is a testament to the University's dedication to removing financial barriers and fostering academic growth and success for all students.

****

देव संस्कृति विश्वविद्यालय की छात्रवृत्ति/फीस माफी नीति

परिचय

देव संस्कृति विश्वविद्यालय (देसंविवि) अपनी इस दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है कि हर योग्य छात्र को उसकी आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना शिक्षा का अवसर मिले। 'कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित न रहे' इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, विश्वविद्यालय का सम्पूर्ण खर्च श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, शांतिकुंज, हरिद्वार द्वारा वहन किया जाता है। इसके साथ ही, विश्वविद्यालय विभिन्न स्रोतों से, जैसे कि परोपकारी और दयालु व्यक्तियों से दान प्राप्त कर, धन एकत्रित करने में सक्रिय रहता है। ये धनराशि उन छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए उपयोग की जाती है जिन्हें ट्यूशन फीस, छात्रावास शुल्क, मेस शुल्क, परीक्षा शुल्क और पुस्तकालय शुल्क जैसे खर्चों को पूरा करने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है।

छात्रों को उनकी आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक प्रदर्शन, और समग्र अनुशासन के आधार पर छात्रवृत्ति और शुल्क माफी दी जाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और दिव्यांग श्रेणियों के छात्रों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। विश्वविद्यालय उन छात्रों की पहचान के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करता है, जो सरकारी छात्रवृत्ति, फेलोशिप, या रियायतों के लिए पात्र नहीं हैं और उन्हें संस्थागत छात्रवृत्ति/मुफ़्तशिप प्रदान करता है।

छात्रवृत्ति नीति कड़ाई से विनियमित है, और विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति, फीस माफी या रियायतें प्रदान करने के लिए विशेष मानदंडों और प्रक्रियाओं का पालन करता है। हर शैक्षणिक वर्ष में, विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार के कार्यालय से एक ऑपन नोटिस के माध्यम से छात्रवृत्तियों/शुल्क माफी के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। एक समर्पित स्क्रीनिंग समिति इन आवेदनों की समीक्षा करती है और छात्रों की जरूरतों और प्राथमिकता स्तरों के आधार पर प्रत्येक छात्र को विशिष्ट धनराशि आवंटित करती है। छात्रवृत्ति की राशि पाठ्यक्रम के आधार पर बदल सकती है और समय–समय पर संशोधित की जा सकती है।

विश्वविद्यालय शोध छात्रों को भी छात्रवृत्ति/फीस काफी प्रदान करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें उनकी अकादमिक खोजों के लिए आवश्यक समर्थन प्राप्त हो।

1. छात्रवृत्ति/फीस माफी/रियायत के लिए पात्रता मानदंड

छात्रों को छात्रवृत्ति, फीस मासी या रियायत के लिए पात्र माने जाने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा।

1.1 आर्थिक स्थिति

आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले छात्र छात्रवृत्ति/फीस माफी के लिए पात्र हैं। उन्हें परिवार की आर्थिक स्थिति के प्रमाण के रूप में अभिभावक की आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विश्वविद्यालय उन छात्रों को प्राथमिकता देता है जो वास्तव में अपनी शिक्षा का खर्च वहन करने में असमर्थ हैं।

1.2 शैक्षणिक प्रदर्शन

शैक्षणिक प्रदर्शन एक महत्वपूर्ण पात्रता मानदंड है। छात्रों ने पिछले सेमेस्टरों में अच्छे शैक्षणिक परिणाम दिखाए होने चाहिए। इसमें केवल ग्रेड ही नहीं, बल्कि कक्षाओं में नियमित उपस्थिति और शैक्षणिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी भी शामिल है।

1.3 समग्र आचरण और अनुशासन

छात्र की समग्र आचरण और अनुशासन को भी छात्रवृत्ति प्रदान करते समय ध्यान में रखा जाता है। पात्र छात्रों को विश्वविद्यालय परिसर में, हॉस्टल में, और अपने सहपाठियों और प्रोफेसरों के प्रति अच्छा आचरण प्रदर्शित किया होना चाहिए। विद्यार्थियों से विश्वविद्यालय की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी की भी उम्मीद की जाती है, जिसमें यज्ञ (आध्यात्मिक गतिविधियों), विश्वविद्यालय कार्यक्रमों, और माननीय कुलाधिपति द्वारा संचालित विशेष कक्षाओं में नियमित उपस्थिति शामिल है।

2. छात्रवृत्ति/फीस माफी/रियायत के लिए प्रक्रिया

छात्रवृत्ति, फीस माफी, या रियायत के लिए आवेदन करने और प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए—

2.1 सूचना और आवेदन

प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में, रजिस्ट्रार का कार्यालय छात्रवृत्तियों/फीस माफी के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए एक सूचना जारी करता है। पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना होगा, जो छात्र कल्याण डीन के कार्यालय में उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में हो।

2.2 आवेदन जमा करना

छात्रों को अपने आवेदन पत्र को सभी आवश्यक दस्तावेजों और संबंधित विभागाध्यक्ष की संस्तुति के साथ छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष को जमा करना होगा।

2.3 स्क्रीनिंग और शॉर्टलिस्टिंग

आवेदन प्राप्त करने के बाद, एक स्क्रीनिंग समिति उनका समीक्षा करती है और योग्यता मानदंड के आधार पर छात्रों की पहचान करती है। समिति आगे विचार के लिए योग्य छात्रों को शॉर्टलिस्ट करती है और उन्हें साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करती है।

2.4 साक्षात्कार प्रक्रिया

शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को छात्रवृत्ति के लिए उनकी पात्रता का आकलन करने के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। यह साक्षात्कार विश्वविद्यालय के अधिकारियों की एक समर्पित छात्रवृत्ति समिति द्वारा आयोजित किया जाता है।

2.5 सिफारिश और स्वीकृति

साक्षात्कार प्रक्रिया के बाद, छात्र कल्याण डीन शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के आवेदन, साथ ही समिति की सिफारिशें और टिप्पणियां, प्रो–वाइस–चांसलर या वाइस–चांसलर को प्रारंभिक स्वीकृति के लिए अग्रेषित करते हैं।

2.6 छात्रवृत्ति समिति द्वारा अंतिम निर्णय

प्रति–कुलपति/कुलपति से प्रारंभिक स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, छात्रवृत्ति समिति आवेदन की समीक्षा करती है और प्रत्येक छात्र के लिए छात्रवृत्ति की राशि पर अंतिम सिफारिश करती है। ये सिफारिशें अंतिम विचार के लिए विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति को प्रस्तुत की जाती हैं।

3. अंतिम स्वोकृति

माननीय कुलाधिपति समिति की सिफारिशों की समीक्षा करते हैं और छात्रवृत्ति, फेलोशिप, या शुल्क में कमी की स्वीकृति पर अंतिम निर्णय लेते हैं। कुलाधिपति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी है।

4. अधिकार और निर्णय–निर्माण

छात्रवृत्ति, मुफ़्तशिप, या शुल्क रियायतों के संबंध में सभी निर्णय विश्वविद्यालय प्रशासन के विशेषाधिकार के अंतर्गत हैं।

प्रवेश के पहले सत्र के दौरान छात्रवृत्ति, फीस माफी या रियायतें प्रदान नहीं की जाती हैं; इन लाभों के लिए आवेदन छात्र के नामांकन के दूसरे सत्र से शुरू होकर स्वीकार किए जाते हैं।

छात्रवृत्ति प्रदान करने की प्रक्रिया, जिसमें समिति की सिफारिशें और कुलाधिपति का अंतिम निर्णय शामिल हैं, निष्कर्षात्मक है। छात्रवृत्ति प्रक्रिया या इसके परिणामों के संबंध में कोई दावा, अपील, या शिकायत नहीं मानी जाएगी।

5. निष्कर्ष

देव संस्कृति विश्वविद्यालय एक समावेशी और सहायक शैक्षणिक वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी योग्य छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिले। यह छात्रवृत्ति नीति विश्वविद्यालय की आर्थिक बाधाओं को दूर करने और सभी छात्रों के लिए अकादमिक विकास और सफलता को बढ़ावा देने के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है।